# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

1. मुरारीलाल पुत्र बैनी प्रसाद ब्राह्मण,
2. अशोक कुमार पुत्र राजकुमार ब्राह्मण
3. कमरजीत पुत्र श्री भगवानसिंह किरार,
   समस्त निवासीगण ग्राम सिलावन कृषक दलभानपुर, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

— आवेदकगण

बनाम

1. जसवन्तसिंह पुत्र जनमेदसिंह धाकड,
2. बृजेश सिंह पुत्र जनमेद सिंह धाकड,
3. नरेश कुमार पुत्र संतोष कुमार ब्राह्मण
4. सनमान सिंह पुत्र मिश्रीलाल किरार,
5. रतीराम पुत्र चिमना अहिरवार,
6. कुश्वाबाई पुत्री चिमना अहिरवार,
7. आरिफ खॉ पुत्र मुमताज खॉ मुसलमान
8. कमर जी पुत्र हल्कू लोधी
9. रतनबाई पुत्री हल्कू लोधी
10. सराजेबाई पुत्री हल्कूसिंह,
    समस्त निवासीगण सिलावन, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर म0प्र0
11. रघुवीर पुत्र रामा आदिवासी,
12. वीरसिंह पुत्र रामा आदिवासी,
13. ना.वा. मूला पुत्र रामा आदिवासी,
14. ना.वा. रामवीर पुत्र रामा आदिवासी,
15. ना.वा. लक्ष्मण पुत्र रामा सरपरस्त मॉ धनियाबाई वैवा रामा
16. धनियाबाई वैवा रामा आदिवासी,
    निवासीगण खुजराई, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

— अनावेदकगण

**निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 09.11.2016 द्वारा पारित अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 90/2013–14/अपील के विरूद्ध।**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / अशोकनगर / भू.रा. / 2017 / 2361

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4–8–17 | आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित होकर यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 90 / अपील / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। निगरानी के साथ धारा–5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।<br>2– प्रकरण में आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न उपलब्ध अभिलेखें का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन समाधान कारक होने से मान्य किया जाता है। आवेदकगण द्वारा एक आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर उसके स्वामित्व की भूमियों की मौके पर कब्जे के अनुसार नक्शा में आकृति संशोधन किये जाने की मांग की गयी। आवेदन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। अपर आयुक्त द्वारा धारा–5 के आवेदन पर ही प्रकरण का निराकरण किया है जबकि आवेदकगण हमेशा अपनी आपत्ति नक्शा में आकृति संशोधन पर करते रहे हैं। इस ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकै तर्क पर गौर नहीं किया है और धारा –5 के आवेदन पर ही प्रकरण का निराकरण कर दिया गया। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 90 / अपील / 2013–14 में | |

पारित आदेश दिनांक 09.11.2016 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में नक्शा की आकृति हेतु संशोधन की मांग की गई थी लेकिन आवेदक का रकवा ही कम कर दिया गया है। उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये नक्शा की सीमायें नियमानुसार लाल स्याई से अंकित करें।

सदस्य